

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 23/2026

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. हनुमान सिंह पुत्र श्री पीरसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी
बालेरा तहसील व जिला
बाड़मेर (मैसर्स श्री माँ भवानी
बीकानेर स्वीट होम, सेड़वा
जिला बाड़मेर का विक्रेता)
2. हवा कँवर पत्नी श्री ओमप्रकाश
राजपुरोहित निवासी धारवी
खुर्द बाड़मेर (मैसर्स श्री माँ
भवानी बीकानेर स्वीट होम,
सेड़वा जिला बाड़मेर का
मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भुरचन्द जांगीड़, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से
उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 04.05.2026



1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की
उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी
गण के प्रतिष्ठान मैसर्स श्री माँ भवानी बीकानेर स्वीट होम, सेड़वा जिला बाड़मेर
पर निरीक्षण दिनांक 17.10.2025 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मिल्क
केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित)** जो कि एक स्टील की ट्रे काँच के काउन्टर
के अंदर लगभग 5 किग्रा भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर

(Handwritten signature)

नियमानुसार 02 किलो मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2981 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 18.11.2025 में उक्त खाद्य पदार्थ मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) का नमूना को अवमानक (Sub-standard) बताया गया जिसकी अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।


2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने बहस में प्रकट किया गया कि यह अप्रार्थी का प्रथम अपराध है एवं भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। अतः नरम दृष्टिकोण अपनाने की कृपा करावें।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 18.11.2025 में अवमानक होना एवं खाद्य पदार्थ मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होना प्रकट किया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **B.R. Reading of extracted fat at 40 degree C** का मानक स्तर न्यूनतम **40.0 to 44.0 (Milk fat)** के मुकाबले 49.65 पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में प्रकट किया गया कि यह अप्रार्थी का प्रथम अपराध है एवं भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। अतः नरम दृष्टिकोण अपनाने की कृपा करावें। अप्रार्थी द्वारा जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय



किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रुपये 8000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 04.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजेन्द्र सिंह चांदावती) एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर